ऑन लाईन नं. **RCMS 2022/135**

न्यायालय : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : डा. हरीतिमा आर0ए0एस0

निगरानी पंचायत प्रकरण सं0 13/2022

1. भैरादान पुत्र काशीराम जाति खाती निवासी चक 6 एसपीएम तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
2. मानाराम पुत्र सुरजाराम जाति खाती निवासी चक 6 एसपीएम तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

निगरानीकर्ता

बनाम

1. ग्राम पंचायत सरदारपुरा जीवन तहसील सादुलशहर द्वारा सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत सरदारपुरा जीवन।
2. विकास अधिकारी, पंचायत समिति सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
3. ग्राम पंचायत उम्मेवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ द्वारा सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत उम्मेवाला।

गैरनिगरानीकर्ता

उपस्थित :

1. श्री सुरेश अरोड़ा, अधिवक्ता, निगरानीकर्ता
2. श्री राजेश गुम्बर, अधिवक्ता, गैरनिगरानीकर्ता संख्या 03
3. श्री ओमप्रकाश छाबड़ा अधिवक्ता

::आदेश:: **दिनाकः—20.02.2023**

हस्तगत निगरानी अदालत के समक्ष प्रस्तुत हुई, जिसके सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार हैं कि ''

1. यह कि निगरानीकर्तागण ग्राम पंचायत सरदारपुरा जीवन के गांव 6 एसपीएम तहसील सादुलशहर के निवासीयान है तथा उपरोक्त मामले में प्रभावित व्यक्ति होने के कारण मौजूदा निगरानी पेश कर रहे है।
2. यह कि सक्षेप में निगरानी तथ्य इस प्राकर से है कि चक 6 एसपीएम व उमेवाला गांव साथ साथ बसे होने के कारण दोनो गांवों की चकबन्दी के मध्य मात्र एक सड़क (रास्ता) है जिसके एकतरफ गावं उमेवाला व दूसरी तरफ गांव 6 एसपीएम बसा हुआ है, गांव 6 एसपीएम की आबादी चक 6 एसपीएम के पत्थर नम्बर 16/207, मुरब्बा नम्बर 51 के किला नम्बर 1 ता 25 में स्थित है जबकि गांव उमेवाला की आबादी 144 बीघा वाके चक 4 यूएमडब्ल्यू के पत्थर नम्बर 15/208, 16/208, 16/209, 15/210, 16/210, 15/209 के कुल 36.432 हैक्टर अर्थात 144 बीघा में स्थित है तथा पटवारी हल्का चक 6 एसपीएम की रिपोर्ट व नक्शा सलंग्न है।
3. यह कि ग्राम पंचायती उम्मेवाला के सरपंच द्वारा बिना दिनांक कमांक प्रस्ताव पारित किये ही ग्राम पंचायत गोलूवाला सिहागान के हक में उमावाली की आबादी भूमि पत्थर नम्बर 15/208, 16/208, 16/209, 15/210,

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

16/210, 15/209 के कुल 36.432 हैक्टर अर्थात 144 बीघा में थी उसमें चक 6 एपीएम के पत्थर नम्बर 16/207 के रकबा को ही अपने नक्शा में गलत तौर से दर्शाया गया है नक्शा की प्रति शामिल है, उपरोक्त प्रस्ताव/कृत्य बिना अधिकार खिलाफ कानून खिलाफ वाक्यात होने व न्याय के प्राकृतिक सिद्वान्तो के विपरीत होने से हर प्रकार से निरस्तनीय है क्योंकि उसके उपरोक्त कृत्य से निगरानीकर्तागण व चक 6 एसपीएम के अन्य निवासीयान को प्राप्त होने वाली सुविधिएं जैसे जल आपूर्ति , विद्युत सम्बन्ध, लोन इत्यादि की सुविधा से वंचित होना पड़ रहा है, इस कारण उपरोक्त निगरानी ग्राम पंचायत गोलूवाला सिहागान जो वर्तमान में ग्राम पंचायत उम्मेवाला द्वारा प्रस्ताव बिना क्रमांक दिनांक के आधार पर ग्राम पचांयत उमेवाला के आबादी नक्शा में चक 6 एसपीएम के पत्थर नम्बर 16/207 को अंकित किया गया है, के खिलाफ यह निगरानी प्रस्तुत की जा रही है, इस कारण ग्राम पंचायत सरदारपुराजीवन के साथ ग्राम पंचायत उमेवाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ को भी पक्षकार बनाया गया है।

4. यह कि कालांतर में चक 6 एसपीएम सादुलशहर व उमेवाला तहसील सूरतगढ के गांव थे, और हनुमानगढ से जिला घोषित करनेके पश्चात गांव उमेवाला जिला हनुमानगढ का पार्ट बना व चक 6 एसपीएम जिला श्रीगंगानगर में ही रहा, इस प्रकार से दोनों गांव की पंचायत तहसील व जिला अलग–अलग है।

5. यह कि गांव 6 एसपीएम की आबादी सर्वप्रथम पत्थर नम्बर 16/207 मुरब्बा नम्बर 51 के किला नम्बर 11 ता 25 में स्थित थी, उसके पश्चात जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर द्वारा अपने पत्र क्रमांक 1492 दिनांक 05.02.2008 के द्वारा ग्राम पंचायत सरदारपुरा जीवन के आवेदन पत्र पर चक 6 एसपीएम के मुरब्बा नम्बर 51 के किला नम्बर 4 ता 7 व अन्य को गांव के विस्तार हेतु किमतन आवंटित पंचायत को किया गया, इस मुरब्बा का शेष रकबा किला नम्बर 2,9,10 कन्या पाठाशाला हेतु व किला नम्बर 3 पंचायत भवन हेतु व किला नम्बर8 औषधालय हेतु आरक्षित किया गया, इस प्रकार से पूरा मुरब्बा नम्बर51 चक 6 एसपीएम की आबादी में सम्मिलित किया गया जिससे यह स्पष्ट प्रमाणित है कि चक 6 एसपीएम की आबादी ग्राम पंचायत सरदारपुरा जीवन की है ना ही ग्राम पचायंत उम्मेवाला। ग्राम पंचायत उमेवाला के द्वारा जो नक्शा चक 6 एसपीएम की आबादी का पत्थर नम्बर 16/207 को सम्मिलित कर बनाया गया है जिसमें सड़क या चक बांउडरी भी दिखाई गई है वह स्पष्ट तौर से गलत व निराधर है व ग्राम पंचायत द्वाराउक्त प्रस्ताव अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकरपारित करने के कारण विधि में दिये गये प्रावधानों के विपरीत होने से हर प्रकार से निरस्तनीय है, अतः ग्राम पचांयत उमेवाला का बनाया गया नक्शा का संशोधन प्रस्ताव जो विकास अधिकारी सूरतगढ द्वारा किया गया है वह भी निरस्तनीय है। और ऐसे नक्शा के आधार पर ग्राम पचांयत सरदारपुरा जीवन व ग्राम पंचायत उमेवाला को कार्यवाही करने का कोई अधिकार नहीं था, निगरानीकर्तागण द्वारा ग्राम पंचायत की किसी भी भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया गया परन्तु ग्राम पंचायत सरदारपुराजीवन बिना वजह नक्शा ग्राम पंचायत उमेवाला का बिना

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अधिकार व क्षेत्राधिकार के बाहर जाते हुए पारित किया गया है के आधार पर निगरानीकर्ता की रिहाइश को तोडने पर आमादा है इसलिए निगरानीकर्तागण को मौजूदा पेश करना आवश्यक हो गया है, जिसके सम्बन्ध में जिलाधीश श्रीगंगानगर को बिना बजह गलत तथ्यों के आधार पर एक रिपोर्ट विकास अधिकारी पंचायत समिति सादुलशहर द्वारा 1964 में प्रस्तावित नक्शा जो ग्राम पंचायत उमेवाला का बिना अधिकार पारित किया गया है के आधार पर ही जिसके आधार पर प्रार्थीयान द्वारा फिरनी पर अनाधिकृत कब्जा होने का कथन कर कब्जे हटाने हेतु गलत कार्यवाही की जा रही है, जिसकी पालना हेतु ग्राम विकास अधिकारी सादुलशहर व सरपंच ग्राम पचांयत सरदारपुराजीवन को लिखा जाकर ग्राम पचांयत सरदारपुरा जीवन निगरानीकर्तागण व अन्यों को फिरनी पर काबिज मानते हुए हटाने के आदेश पारित किये है जबकि फिरनी पर किसी का कोई अतिक्रमण नहीं है, आदेश बिना अधिकार पारित किया गया होने से गलत कार्यवाही की जा रही है जबकि चक 6 एसपीएम की आबदी हेतु पारित नक्शा अनुसार किसी भी व्यक्ति का फिरनी पर कोई कब्जा नहीं है।

6. यह कि मानाराम द्वारा सूचना के अधिकार के तहत राजस्थान सरकार ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग से यह सूचना चाही की चक 6 एसपीएम शुरू से अब तक किस पंचायत का हिस्सा रहा है तो उनके द्वारा जो सूचना उपलब्ध करवाई गई है उसके अनुसार चक 6 एसपीएम कभी भी गोलूवाला सिहागान व वर्तमान उमेवाला पंचायत का हिस्सा नहीं रहा, बल्कि यह पूर्व में ग्राम पचांयत मम्मड व अब ग्राम पंचायत सरदारपुरा जीवन का हिस्सा है की सूचना दी गई है इससे भी प्रमाणित है कि चक 6 एसपीएम ग्राम गोलूवाला सिहागान व ग्राम उमेवाला का भाग नहीं रहा है। जब चक 6 एसपीएम कभी ग्राम पंचायत का भाग ही नही रहा तो चक 6 एसपीएम की आबादी भूमि ग्राम पंचायत उमेवाली के स्वामित्व की होने व आबादी भूमि के सम्बन्ध में नक्शा पारित करने का अधिकार ना तो ग्राम पंचायत उमावाली को था ना ही अनुशंषा पर पंचायत समिति सूरतगढ को पारित करने का कोई अधिकार था और ना ही ऐसे नक्शा के आधार पर निगरानीकर्तागण को अतिक्रमी माना जा सकता है, इस प्रकार ग्राम पंचायत सरदारपुरा जीवन द्वारा जो नोटिस दिनांक 13.04.2022 जिसकी प्रति सलंग्न है से निगरानीकर्ता को व अन्य निवासीयान के खिलाफ कार्यवाही अवैध हो जाती है व ऐसे नोटिस के आधार के सरदारपुरा जीवन को कोई कार्यवाही करने का हक व अधिकार हासिल नहीं होता। अतः नोटिस भी वैकेट करने योग्य है।

7. यह कि ग्राम पंचायत द्वारा पारित किया गया किसी प्रस्ताव व उसके आधार पर किये गये सम्पूर्ण कार्य की जांच का अधिकार श्रीमान न्यायालय के पास है व श्रीमान न्यायालय के द्वारा जांच के आधार पर ही प्रार्थीयान को न्याय प्राप्त होगा इसलिए ग्राम पंचायत सरदारपुराजीवन से व ग्राम पंचायत उमेवाली से अपना– अपना रिकॉर्ड मंगवाया जाकर यह जांच की जावें कि चक 6 एसपीएम के पत्थर नम्बर 16/207 में स्थित आबादी चक 6 एसपीएम ग्राम पंचायत सरदारपुराजीवन की है या ग्राम पंचायत उमेवाली की है। अतः आबादी के सम्बन्ध में सम्पूर्ण कार्यवाही करने के अधिकार श्रीमान जी को है।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अतः ग्राम पंचायत उमेवाली का जारी नक्शा 1964 उक्त ग्राम पंचायत 6 एसपीएम पर लागू है अथवा नहीं का तय किया जाकर प्रार्थीयान के खिलाफ की जा रही कार्यवाही को स्थगित किया जाना आवश्यक है व वर्ष 1964 को पारित किये गये नक्शा में संशोधन कर चक 6 एसपीएम की आबादी भूमि पत्थर नम्बर 16/207 को उपरोक्त नक्शा से विलोपित किया जावें।

8. यह कि इस प्रकार का प्रस्ताव नक्शा से पूर्व किसी प्रकारसे विधिक प्रकिया नहीं अपनायी गई जबकि विधिक प्रकिया के अनुसार आपति सूचना आदि जारी करना तथा चक 6 एसपीएम के निवासीयान को सुनवाई का अवसर देना कानूनन आवश्यक था मगर इस प्रकार का कोई अवसर सुनवाई का नहीं दिया गया।

9. यह कि निगरानी काबिल समाअत अदालतवाला, नोटिस 13.04.2022 से पता चलने पर आवश्यक रिकॉर्ड प्राप्त कर बिना किसी देरी के निगारानी पेश की जा रही है, हालांकि निगरानी के लिए विधि द्वारा कोई मियाद निश्चित नहीं है तथा माननीय न्यायालय को सोमोटिव अथवा किसी के प्रार्थना पत्र पर भी इस प्रकार का रिकॉर्ड मंगवाकर उसकी वैधता की जांच करने का अधिकार है। अतः यदि किसी कारणवंश निगरानी ना मानी जावें तो आवेदन पत्र मानकर रिकॉर्ड मंगवाकर जांच कर आवश्यक आदेश पारित करना आवश्यक है जिससे प्रार्थीयान को न्याय प्राप्त हो सके।

लिहाजा निगरानी पेश करके अर्ज है कि निगरानी स्वीकार की जाकर आवश्यक रिकॉर्ड अप्रार्थीयान से मंगवाकर व जांच कर प्रस्ताव व नक्शा ग्राम पंचायत उमेवाला सन् 1964 को निरस्त करने व नक्शा को खारिज करने का आदेश फरमाया जावें।

निगरानी से संबंधित रिकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

निगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने निगरानी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कहा है कि चक 6 एसपीएम व उमेवाला गांव साथ साथ बसे होने के कारण दोनो गांवों की चकबन्दी के मध्य मात्र एक सड़क (रास्ता) है जिसके एकतरफ गावं उमेवाला व दूसरी तरफ गांव 6 एसपीएम बसा हुआ है, गांव 6 एसपीएम की आबादी चक 6 एसपीएम के पत्थर नम्बर 16/207, मुरब्बा नम्बर 51 के किला नम्बर 1 ता 25 में स्थित है जबकि गांव उमेवाला की आबादी 144 बीघा वाके चक 4 यूएमडब्ल्यू के पत्थर नम्बर 15/208, 16/208, 16/209, 15/210, 16/210, 15/209 के कुल 36.432 हैक्टर अर्थात 144 बीघा में स्थित है। चक 6 एसपीएम सादुलशहर व उमेवाला तहसील सूरतगढ के गांव थे, और हनुमानगढ से जिला घोषित करनेके पश्चात गांव उमेवाला जिला हनुमानगढ का पार्ट बना व चक 6 एसपीएम जिला श्रीगंगानगर में ही रहा, इस प्रकार से दोनों गांव की पंचायत तहसील व जिला अलग–अलग है।गांव 6 एसपीएम की आबादी सर्वप्रथम पत्थर नम्बर 16/207 मुरब्बा नम्बर 51 के किला नम्बर 11 ता 25 में स्थित थी, उसके पश्चात जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर द्वारा अपने पत्र कमांक 1492 दिनांक 05.02.2008 के द्वारा ग्राम पंचायत सरदारपुरा जीवन के आवेदन पत्र पर चक 6 एसपीएम के मुरब्बा नम्बर 51 के किला नम्बर 4 ता 7 व अन्य को गांव के विस्तार हेतु किमतन आवंटित पंचायत को किया गया, इस मुरब्बा का शेष

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

रकबा किला नम्बर 2,9,10 कन्या पाठाशाला हेतु व किला नम्बर 3 पंचायत भवन हेतु व किला नम्बर8 औषधालय हेतु आरक्षित किया गया, इस प्रकार से पूरा मुरब्बा नम्बर51 चक 6 एसपीएम की आबादी में सम्मिलित किया गया जिससे यह स्पष्ट प्रमाणित है कि चक 6 एसपीएम की आबादी ग्राम पंचायत सरदारपुरा जीवन की है ना ही ग्राम पचायंत उम्मेवाला। ग्राम पंचायत उमेवाला के द्वारा जो नक्शा चक 6 एसपीएम की आबादी का पत्थर नम्बर 16/207 को सम्मिलित कर बनाया गया है जिसमें सड़क या चक बांउडरी भी दिखाई गई है वह स्पष्ट तौर से गलत व निराधर है व ग्राम पंचायत द्वाराउक्त प्रस्ताव अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकरपारित करने के कारण विधि में दिये गये प्रावधानों के विपरीत होने से हर प्रकार से निरस्तनीय है, अतः ग्राम पचांयत उमेवाला का बनाया गया नक्शा का संशोधन प्रस्ताव जो विकास अधिकारी सूरतगढ द्वारा किया गया है वह भी निरस्तनीय है। और ऐसे नक्शा के आधार पर ग्राम पचांयत सरदारपुरा जीवन व ग्राम पंचायत उमेवाला को कार्यवाही करने का कोई अधिकार नहीं था, निगरानीकर्तागण द्वारा ग्राम पंचायत की किसी भी भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया गया परन्तु ग्राम पंचायत सरदारपुराजीवन बिना वजह नक्शा ग्राम पंचायत उमेवाला का बिना अधिकार व क्षेत्राधिकार के बाहर जाते हुए पारित किया गया है के आधार पर निगरानीकर्ता की रिहाइश को तोडने पर आमादा है इसलिए निगरानीकर्तागण को मौजूदा पेश करना आवश्यक हो गया है, जिसके सम्बन्ध में जिलाधीश श्रीगंगानगर को बिना बजह गलत तथ्यों के आधार पर एक रिपोर्ट विकास अधिकारी पंचायत समिति सादुलशहर द्वारा 1964 में प्रस्तावित नक्शा जो ग्राम पंचायत उमेवाला का बिना अधिकार पारित किया गया है के आधार पर ही जिसके आधार पर प्रार्थीयान द्वारा फिरनी पर अनाधिकृत कब्जा होने का कथन कर कब्जे हटाने हेतु गलत कार्यवाही की जा रही है, जिसकी पालना हेतु ग्राम विकास अधिकारी सादुलशहर व सरपंच ग्राम पचांयत सरदारपुराजीवन को लिखा जाकर ग्राम पचांयत सरदारपुरा जीवन निगरानीकर्तागण व अन्यों को फिरनी पर काबिज मानते हुए हटाने के आदेश पारित किये है जबकि फिरनी पर किसी का कोई अतिक्रमण नहीं है, आदेश बिना अधिकार पारित किया गया होने से गलत कार्यवाही की जा रही है जबकि चक 6 एसपीएम की आबदी हेतु पारित नक्शा अनुसार किसी भी व्यक्ति का फिरनी पर कोई कब्जा नहीं है।मानाराम द्वारा सूचना के अधिकार के तहत राजस्थान सरकार ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग से यह सूचना चाही की चक 6 एसपीएम शुरू से अब तक किस पंचायत का हिस्सा रहा है तो उनके द्वारा जो सूचना उपलब्ध करवाई गई है उसके अनुसार चक 6 एसपीएम कभी भी गोलूवाला सिहागान व वर्तमान उमेवाला पंचायत का हिस्सा नहीं रहा, बल्कि यह पूर्व में ग्राम पचांयत मम्मड व अब ग्राम पंचायत सरदारपुरा जीवन का हिस्सा है की सूचना दी गई है इससे भी प्रमाणित है कि चक 6 एसपीएम ग्राम गोलूवाला सिहागान व ग्राम उमेवाला का भाग नहीं रहा है। जब चक 6 एसपीएम कभी ग्राम पंचायत का भाग ही नही रहा तो चक 6 एसपीएम की आबादी भूमि ग्राम पंचायत उमेवाली के स्वामित्व की होने व आबादी भूमि के सम्बन्ध में नक्शा पारित करने का अधिकार ना तो ग्राम पंचायत उमावाली को था ना ही अनुशंषा पर पंचायत समिति सूरतगढ को पारित करने का कोई अधिकार था और ना ही ऐसे नक्शा के आधार पर निगरानीकर्तागण को अतिक्रमी

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

माना जा सकता है, इस प्रकार ग्राम पंचायत सरदारपुरा जीवन द्वारा जो नोटिस दिनांक 13.04.2022 जिसकी प्रति सलंग्न है से निगरानीकर्ता को व अन्य निवासीयान के खिलाफ कार्यवाही अवैध हो जाती है व ऐसे नोटिस के आधार के सरदारपुरा जीवन को कोई कार्यवाही करने का हक व अधिकार हासिल नहीं होता। अतः नोटिस भी वैकेट करने योग्य है। ग्राम पंचायत द्वारा पारित किया गया किसी प्रस्ताव व उसके आधार पर किये गये सम्पूर्ण कार्य की जांच का अधिकार श्रीमान न्यायालय के पास है व श्रीमान न्यायालय के द्वारा जांच के आधार पर ही प्रार्थीयान को न्याय प्राप्त होगा इसलिए ग्राम पंचायत सरदारपुराजीवन से व ग्राम पंचायत उमेवाली से अपना– अपना रिकॉर्ड मंगवाया जाकर यह जांच की जावें कि चक 6 एसपीएम के पत्थर नम्बर 16/207 में स्थित आबादी चक 6 एसपीएम ग्राम पंचायत सरदारपुराजीवन की है या ग्राम पंचायत उमेवाली की है। अतः आबादी के सम्बन्ध में सम्पूर्ण कार्यवाही करने के अधिकार श्रीमान जी को है। अतः ग्राम पंचायत उमेवाली का जारी नक्शा 1964 उक्त ग्राम पंचायत 6 एसपीएम पर लागू है अथवा नहीं का तय किया जाकर प्रार्थीयान के खिलाफ की जा रही कार्यवाही को स्थगित किया जाना आवश्यक है व वर्ष 1964 को पारित किये गये नक्शा में संशोधन कर चक 6 एसपीएम की आबादी भूमि पत्थर नम्बर 16/207 को उपरोक्त नक्शा से विलोपित किया जावें। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर आवश्यक रिकॉर्ड अप्रार्थीयान से मंगवाकर व जांच कर प्रस्ताव व नक्शा ग्राम पंचायत उमेवाला सन् 1964 को निरस्त करने व नक्शा को खारिज करने का आदेश फरमाया जावें।

गैरनिगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम पंचायत सरदारपुरा जीवन द्वारा नोटिस क्रमांक 55–58 दिनांक 13.04.2022 जो जारी किया गया है वह श्रीमान जिला कलक्टर महोदय के आदेश क्रमांक एफ 24(6)/ पंचायत/10/180 दिनांक 30.03.2010 पर माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के आदेश दिनांक 24.02.2022 की पालना में जारी किया गया। माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा आपने आदेश दिनांक 24.02.2022 को एस.बी. सिविल रिट संख्या 4361/2010 भैरदान बनाम राजस्थान राज्य व अन्य के सम्बन्ध में रिट खारिज की जाकर श्रीमान जिला कलक्टर महोदय श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 30.03.2010 को बहाल रखा गया है। निगरानीकर्तागण उक्त तथ्यों को छुपाकर माननीय न्यायालय में निगरानी पेश की गई है। ''**श्रीमान जिला कलक्टर महोदय श्रीगंगानगर ने अपने आदेश दिनांक 30.03.2010 द्वारा अंकित किया है कि चक 6 एसपीएम ग्राम पंचायत, सरदारपुरा जीवन का नक्शा (हैड ड्राफ्टमैन उपनिवेशन विभाग से 1964 में प्रमाणित) बना हुआ था, किन्तु 1995 में तत्कालीन सरपंच व सचिव द्वारा चक का उक्त प्रमाणित नक्शा होने के बावजूद , पंचायती राज नियम 142 की अवहेलना कर नया नक्शा बनाया गया है, जो प्रारम्भ से ही अवैध एवं शून्य होने के कारण निरस्त किया जाता है। इस नक्शें के आधार पर चक के फिरनी में अहाता सख्या ई/1, ई/2,ई/3, ए/10 व ए/1 बनाकर किया गया कब्जा अवैध है। अतः आप इन अवैध कब्जों को 10 दिवस में हटाकर सूचना इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त इस अवैध नक्शे के आधार पर एवं पचांयती राज नियम 158 की अवहेलना कर जारी पट्टो**

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) न्यायालय श्रीगंगानगर (राज.)

को भी निर्धारित प्रकिया अपनाकर निरस्त करवाने की कार्यवाही किया जाना सुनिशिचित करें।'' ग्राम पंचायत सरदारपुरा जीवन द्वारा माननीय न्यायालय जोधपुर के आदेश दिनांक 24.02.2022 की पालना में जारी किया गया है तो विधिसम्मत है। अतः निगरानीकर्ता की निगरानी अस्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत द्वारा जारी नोटिस को बहाल रखा जावें।

उपरोक्त विवेचन एवं अभिलेखीय आलोक में कानूनी प्रावधानों के दृष्टिगत ग्राम पंचायत सरदारपुरा जीवन, पंचायत समिति सादुलशहर द्वारा जारी नोटिस विधिसम्मत् है क्योंकि ग्रांम पंचायत सरदारपुरा जीवन द्वारा श्रीमान जिला कलक्टर महोदय श्रीगंगानगर के आदेश कमांक एफ 24(6)/ पंचायत/10/180 दिनांक 30.03.2010 पर माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के आदेश दिनांक 24.02.2022 की पालना में जारी किया गया है। फलस्वरूप निगरानीकर्ता की निगरानी खारिज की जाकर जाकर ग्राम पंचायत द्वारा जारी नोटिस को बहाल रखा जाता है। आदेश की प्रति सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं रिकार्ड लौटाया जावें

आदेश आज दिनांक 20.02.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डा. हरीतिमा)
अति0 जिला कलक्टर
(प्रशासन)श्री गंगानगर